

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मांग संख्या 16

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	431.10	32.66	463.76	436.10	37.66	473.76	700.50	36.00	736.50	
	38.90	...	38.90	58.90	...	58.90	49.50	...	49.50	
	470.00	32.66	502.66	495.00	37.66	532.66	750.00	36.00	786.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग	3451	10.50	17.46	27.96	10.50	17.46	27.96	10.50	19.00	29.50
2. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	3451	138.80	...	138.80	138.80	...	138.80	157.60	...	157.60
	5475	26.90	...	26.90	46.90	...	46.90	34.40	...	34.40
	जोड़	165.70	...	165.70	185.70	...	185.70	192.00	...	192.00
3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00
4. रोबोटिक्स सहित औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स संवर्धन कार्यक्रम	2852	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
5. सेमी-कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.	2852	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
6. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम	2852	5.50	0.60	6.10	5.50	0.60	6.10	5.50	0.60	6.10
7. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम-एन.एम.सी.	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
8. उन्नत परिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)	2852	25.50	3.00	28.50	25.50	3.00	28.50	40.00	3.00	43.00
9. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	2852	13.00	3.00	16.00	14.70	3.00	17.70	18.00	3.00	21.00
10. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम	2852	22.00	4.30	26.30	23.30	4.30	27.60	23.00	4.30	27.30
	4859	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
	जोड़	29.50	4.30	33.80	30.80	4.30	35.10	30.50	4.30	34.80
11. एएसआईसी डिजाइन हेतु विशेष जनशक्ति	2852	3.50	...	3.50	0.50	...	0.50	10.00	...	10.00
12. साफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास	2852	5.00	...	5.00	7.50	...	7.50	7.00	...	7.00
13. फोटोनिक/ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
14. परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी	2852	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50
15. महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
16. शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क (ईआरएनईटी)	2852	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00	0.20	...	0.20
17. ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.20	...	0.20
18. स्वास्थ्य और बायो-इन्फोमेटिक्स में इलेक्ट्रॉनिकी	2852	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित रोजगार सृजन	2852	1.00	...	1.00
20. ईएससी और निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम	2852	7.00	...	7.00	12.00	...	12.00	8.50	...	8.50
21. अन्य कार्यक्रम										
21.01 इलेक्ट्रॉनिकी में प्रदर्शनी	2250	...	0.70	0.70	...	0.70	0.70	...	0.80	0.80
21.02 विदेशी व्यापार	3453	...	1.60	1.60	...	6.60	6.60	...	3.10	3.10
21.03 आई.पी.आर. संवर्धन कार्यक्रम	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
21.04 अन्य स्कीमों	2852	1.70	0.30	2.00	0.80	0.30	1.10	1.60	0.50	2.10
	जोड़	2.70	2.60	5.30	1.80	7.60	9.40	2.60	4.40	7.00
22. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल घटाइए - कार्यकारी मुख्य शीर्ष को अन्तरण निवृत्त - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	0.50	0.50
	3606	...	-2.50	-2.50	...	-2.50	-2.50	...	-0.50	-0.50
	जोड़
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	42.50	...	42.50	42.50	...	42.50	67.40	...	67.40
	4552	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	7.60	...	7.60
	जोड़	47.00	...	47.00	47.00	...	47.00	75.00	...	75.00
24. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसीए)	2852	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00
25. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस	2852	36.50	...	36.50	40.00	...	40.00	193.00	...	193.00

सं.16/सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
26. भारतीय भाषा हेतु प्रौद्योगिकी विकास	2852	6.00	...	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00		
27. ई-कामर्स एवं इन्फो-सुरक्षा (स्मार्ट कार्डों सहित)	2852	10.00	...	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00		
28. सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक/प्रमाणन और नेटवर्क सुरक्षा	2852	6.00	...	6.00	...	6.00	4.00	...	4.00		
29. साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस इंडिया एंड ई एच टी पी	2852	6.00	...	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00		
30. मीडिया लैब एशिया	2852	0.10	...	0.10	...	0.10	65.00	...	65.00		
31. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (सिटीजन पोर्टल्स सहित)	2852	16.00	...	16.00	...	16.00	7.00	...	7.00		
32. सूचना प्रौद्योगिकी/ विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का संवर्धन, अनुसंधान और विकास	2852	16.00	...	16.00	...	16.00	6.00	...	6.00		
33. विद्या वाहिनी एवं ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम	2852	5.00	...	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00		
34. सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजी	2852	5.00	...	5.00	...	5.00		
35. डीओईएसीसी	2852	5.00	1.70	6.70	5.00	1.70	5.00	1.70	6.70		
36. डिजिटल डी एन ए पार्क	2852	3.50	...	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00		
कुल-जोड़	470.00	32.66	502.66	495.00	37.66	532.66	750.00	36.00	786.00		
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	
1. सेमिकन्डक्टर काम्प्लेक्स लि.	12859	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	0.05	0.05	
	जोड़	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	0.05	0.05	
अन्य संस्थाएं/निकाय	एन.सी.एस.टी/समीर/एसईपीपी/सी-डैक आदि	12859	...	102.95	102.95	...	102.95	102.95	...	139.22	139.22
	जोड़	...	107.45	107.45	...	107.45	107.45	...	139.27	139.27	
ग. आयोजना परिव्यय :-											
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग	12859	320.70	107.45	428.15	345.70	107.45	453.15	581.90	139.27	721.17	
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	149.30	...	149.30	149.30	...	149.30	168.10	...	168.10	
जोड़		470.00	107.45	577.45	495.00	107.45	602.45	750.00	139.27	889.27	

1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी): ई-प्रशासन, निर्णय सहायता के लिए सरकार तथा सरकारी क्षेत्र में सूचना संबंधी विकास तथा नेटवर्किंग के लिए एक नोडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है। इन्फार्मेटिक्स विकास में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विकास तथा सेवाएं शामिल हैं। यह देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ जिला प्रशासन हेतु नेटवर्क आधार तथा ई-गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, एनआईसी नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (टी.डी.सी.): इस कार्यक्रम का लक्ष्य कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार, नियंत्रण और उपकरण विकास, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और अभियांत्रिकी का संवर्धित करना तथा उसे सहायता प्रदान करना है।

4. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई.ई.पी.पी.): इस कार्यक्रम का लक्ष्य औद्योगिक स्वचालन और प्रशिक्षण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ लागू करने के माध्यम से देश में प्रणाली-इंजीनियरी संस्कृति का संवर्धन करना है।

5. सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि. (एस.सी.एल.): एस सी एल का उद्देश्य महत्वपूर्ण संगठन विशेषतः उनके मिशन से जुड़ी परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करना है। अभिज्ञात खास क्षेत्रों जैसे दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर्स, स्मार्ट कार्ड्स आदि में उत्पादों को लक्षित करने वाली प्रौद्योगिकियों को डिजाइन तथा विकसित करना।

6. इलेक्ट्रॉनिकी, सामग्री विकास कार्यक्रम (ई.एम.डी.पी.): इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए एक सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी आधार

विकसित करना और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा उद्योग में महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता वाली इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता करना है।

7. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो-टेक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम (एम.ई.डी.पी.): इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में जनशक्ति, शैक्षिक संस्थाओं की आर एंड डी प्रयोगशालाओं और उद्योग में आर एंड डी और प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए मजबूत आधार बनाना है और स्वेदशी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए प्रयोग विशिष्ट एकीकृत सर्किटों (ए एस आई सी) के उपयोगों का संवर्धन करना व प्रचुरोद्भवन करना है।

8. उन्नत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक): यह संगणन और संचार तथा उससे उत्पन्न अनुप्रयोग के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी है।

9. अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी और अनुसंधान सोसायटी (समीर): यह सूक्ष्मतरंग, मिलिमीटर वेव और विद्युत चुम्बकीय के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोग विकसित करने के विशिष्ट लक्ष्य सहित कार्यरत एक अनुसंधान और विकास संगठन है।

10. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एस.टी.व्यू.सी.): यह इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों तथा उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए उद्योगों को परीक्षण, चिन्हांकन सेवाएं, प्रमाणीकरण सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है।

11. ए.एस.आई.सी. डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति: इसका लक्ष्य 7 अनुसंधान केन्द्रों तथा 12 भाग लेने वाली संस्थाओं को शामिल करते हुए बी.ई./बी.टेक, एम.ई/एम.टेक और पी.एच.डी. स्तर पर वी.एल.एस.आई/डिजाइन और संबंधित साफ्टवेयर के क्षेत्रों में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षण देना है।

12. **साफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य बढ़ते हुए साफ्टवेयर निर्यात उद्योग को समर्थन करने तथा लक्षित निर्यात हासिल करने के लिए और अपेक्षित विशिष्ट जनशक्ति का सृजन करना और सुदृढ़ करना है।

13. **फोटोनिक्स विकास कार्यक्रम:** इसका प्रमुख उद्देश्य फोटोनिक्स प्रौद्योगिकियों का विकास करना और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से प्रयोग करना तथा फोटोनिक्स के कतिपय चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक आधार का निर्माण करना है।

14. **परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी तथा प्रदूषण नियंत्रण:** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवहन, विद्युत संवितरण, जल प्रबंधन और लोक सुरक्षा सेवाओं जैसे ढांचागत क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता, उत्पादकता, ऊर्जा के संरक्षण, पर्यावरणात्मक प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार उत्पादन को सुधारने के लिए तथा स्थानीय विशेषज्ञता तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का पूर्ण प्रयोग करते हुए भारत में एक आधुनिक ढांचागत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग को बढ़ाना है।

15. **संकेंद्रण, संचार तथा महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी :** इसका उद्देश्य रडार, नौवहन संचालन सहायता, सोनार, भूमिगत-जल, इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों, लेसर और इन्फ्रा रेड आधारित प्रणालियों, सुरक्षा प्रणालियों, डिजास्टर प्रबंधन प्रणालियों, भावी वायु नौसंचालन प्रणालियों, और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास क्रियाकलापों का समर्थन करना है।

16. **ई आर एन ई टी परियोजना- शैक्षणिक और अनुसंधान नेटवर्क :** इसका उद्देश्य कम्प्यूटर नेटवर्किंग और आंकड़ा संचार के क्षेत्र में उसे विश्व मानकों के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना और उसके लाभ राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय, उद्योग और कई तरह के प्रयोक्ताओं तक पहुंचाना है।

17. **ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिकी:** इसका उद्देश्य संस्थानों, परियोजनाओं, प्रयोगशालाओं, विभागों तथा साथ ही सामाजिक और ग्रामीण विकास में लगे गैर-सरकारी संगठनों के परामर्श से सामाजिक कल्याण, बंजर भूमि विकास, कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों आदि सहित ग्रामीण विकास से सम्बद्ध इलेक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोग से संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों का पता लगाना है।

18. **स्वास्थ्य और जैव सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी :** इसका उद्देश्य चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देशी प्रौद्योगिकी का संवर्धन और उसका अनुप्रयोग करना है। संचार नेटवर्किंग, कम्प्यूटर मैचिंग, माइक्रोवेव हीटिंग के प्रयोगों जैसी इलेक्ट्रॉनिकी तकनीकों की व्यापक सीमा लागू करके स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवाओं की गुणवत्ता के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

19. **रोजगार सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम :** रोजगार सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौशल विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को साधन के रूप में प्रयोग करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार शिक्षित युवा तथा कमजोर वर्ग के छात्र "ओ" स्तर तथा "ए" स्तर के कम्प्यूटर कोर्स सीख कर अपनी रोजगार संबंधी संभावना को बढ़ा सकते हैं जिससे उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में रोजगार पाने में सहायता मिलेगी।

20. **इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात विकास परिषद (ई एस सी):** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा संबंधित सेवाओं के निर्यातों को सहायता, सुरक्षा, अनुरक्षण, वृद्धि तथा संवर्धित करने और बाजार अध्ययन, विदेश से बाजार संबंधी उत्तमता, जन अभियान संचालन, विभिन्न अभिकरणों के साथ कामकाजी तालमेल द्वारा निर्माताओं/ व्यापार/ जहाज व्यापारियों के लिए उपयोगी सूचना का प्रसार, विदेशी आयातकों की शिकायतों की जाँच तथा छानबीन आदि द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा उसका विकास करना है।

21. **अन्य कार्यक्रम :** अन्य योजनाओं में दो चालू लघु कार्यक्रम नामतः इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सूचना कार्यक्रम (ईआईआईपी), तथा सेमीकन्डक्टर ले-आउट डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा एक नया कार्यक्रम नामतः मैगा फंड की स्थापना शामिल हैं।

21.03. **आई पी आर संवर्धन कार्यक्रम :** नए डब्ल्यू टी ओ की प्रणाली ने

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, साफ्टवेयर विकासकर्ताओं, में बढ़ती आई पी आर जागरूकता के लिए व्यापार, उद्योग तथा अनुसंधान के उद्यमियों, के समक्ष चुनौतियां पेश की हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमिनारों/ सिम्पोजियमों आदि के माध्यम से बौद्धिक संपदा जागरूकता पैदा करना तथा इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संवर्धन हेतु मेन्युअलों, दिशानिर्देशों, ट्रॉपिकल रिपोर्टों तथा परामर्श सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देना है।

22. **सहायता सामग्री और उपस्कर :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री, उपस्कर और अन्य जिन्सों के रूप में विदेशी सहायता दर्शाई गई है।

24. **सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी.आई.सी.):** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 487 ब्लाक मुख्यालयों में क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सामुदायिक सूचना केंद्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है।

25. **इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन :** इलेक्ट्रॉनिकी अभिशासन सरकार में दक्षता, सुविधा, पहुंच तथा पारदर्शिता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है। मौजूदा प्रयास में मुख्य जोर केंद्रीय तथा राज्य सरकार स्तरों, दोनों, पर देना है ताकि नागरिकों तथा व्यापार के परिप्रेक्ष्य में इन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों जैसे साफ्टवेयर प्रयोग पैकेजों का विकास, इलै.-अभिशासन आधार ढांचे का सृजन, राष्ट्रीय आई डी, सिटीजन डाटाबेस, जीआईएस/ जीपीएस, स्मार्ट कार्ड तथा इलै.-अभिशासन तंत्र में डिजिटल/ शिक्षा संबंधी तत्व आदि को प्रायोगिक पैमाने के आधार पर लिया जा रहा है।

26. **भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी साधनों एवं विषयों का विकास करना है।

27. **ई-कामर्स तथा सूचना-सुरक्षा (स्मार्ट कार्डों सहित) ई-कामर्स** का उद्देश्य देश में ई-कामर्स के लिए पूर्णतः वैधानिक एवं विनियामक ढांचे की व्यवस्था करना और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न गुणों व्यवसाय तथा वाणिज्य के लिए ई-कामर्स और इसके लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

28. **सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक प्रमाणन तथा नेटवर्क सुरक्षा :** प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक कार्यालय का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन गठन किया गया है। प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक कार्यालय का उद्देश्य डिजिटल सिग्नेचर के प्रयोग को सुकर बनाना, संभावनापूर्ण प्रमाणन प्राधिकरण को लाइसेंस प्रदान करना, ई-वाणिज्य संवर्धन हेतु ई-ट्रांसनेशनल/ ई-रिकार्डों के लाभों के बारे में उद्योग/ व्यापार समुदाय/ जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है।

29. **भारत के साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.आई) :** यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक पंजीकृत सोसायटी है। इसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

30. **मीडिया लैब एशिया:** मीडिया लैब एशिया अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए समर्पित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम में महान चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10-वर्षीय योजना है। मीडिया लैब एशिया की भूमिका, उन आविष्कारों, पुनःआशोधन, और नवीन खोजों का प्रचार-प्रसार सुविधाजनक बनाना है, जो सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाते हैं। मीडिया लैब एशिया इन नवीन खोजों को भारत के प्रत्येक गांव में लाने के लिए उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों और सरकार के साथ कार्य करेगा।

31. **जनता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल विवाद मुद्दों को खत्म करना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसकी सक्षम सेवाओं के उपयोग से जनता को शक्ति संपन्न बनाकर आम आदमी की जिन्दगी पर इसको असरदार बनाना है।

32. **विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं :** विशेष आईटी प्रौद्योगिकी परियोजना प्रभाग का उद्देश्य भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बहु-शिक्षण प्रभावों के आगमन को मजबूती प्रदान करना है। विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाएं तथा विशेष प्रोत्साहन योजनाओं को संक्रेन्द्रित क्षेत्रों में जनशक्ति तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

33. **विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम** : यह नया कार्यक्रम प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित करने और कक्षाओं में प्रौद्योगिकी लाने के लिए उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं का संयोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम रखने के लिए वर्ष 2002-2003 में शुरू किया गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संयोजन के लिए और उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधार ढांचे के उन्नयन के लिए क्रमशः दो विशेष कार्यक्रम अर्थात् "विद्या वाहिनी" और "ज्ञान वाहिनी" नेटवर्क शुरू किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक स्कूल और शिक्षण संस्था में एकीकृत वॉयस, डाटा और वीडियो नेटवर्क स्थापित करना है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपेक्षित सूचना का प्रबंधन करने और संप्रेषण करने के लिए बहुपक्षीय बुनियादी कौशल और सक्षमता प्राप्त कर सके।

35. **डीओईएसीसी** : डीओईएसीसी देश में कम्प्यूटर शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, की एक संयुक्त स्कीम है। इस योजना को डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार का स्वायत्तशासी निकाय है।

36. **डिजिटल डीएनए पार्क** : अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए सही संरचना एवं स्थान प्रदान करने और भारत में जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से जैव-प्रौद्योगिकी-डीएनए पार्कों की परिकल्पना की गई है। जैव-प्रौद्योगिकी-डीएनए पार्कों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहन प्रदान करने, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए विकसित किया जाएगा।